

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

आदेश

पत्रांक-03/प्र0/बजट-1-30/2012 (पार्ट-1)

चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान, औरंगाबाद के निर्माण कार्य हेतु 22,60,14,800/- (बाईस करोड़ साठ लाख चौदह हजार आठ सौ रू0) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभागीय आदेश सं0-4504, दिनांक-06.09.2017 द्वारा गठित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक-13.11.2017 को 4:00 बजे अपराह्न में प्रधान सचिव के कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई है।

अतः उक्त बैठक में ससमय भाग लेने की कृपा की जाय।

ह0/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-03/प्र0/बजट-1-30/2012 (पार्ट-1)

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय आदेश सं0-4504, दिनांक-06.09.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-03/प्र0/बजट-1-30/2012 (पार्ट-1) 5632 पटना, दिनांक-...13/11/17

प्रतिलिपि : निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि अपने तकनीकी पदाधिकारी के साथ उपरोक्त बैठक में निर्धारित समय पर कृपया भाग लिया जाय।



अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।